भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2785
दिनांक 18.03.2020/ 28 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

मानव तस्करी में वृद्धि

2785. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में मानव तस्करी बढ़ रही है;

(ख) सरकार ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या इसका कोई स्थायी समाधान है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क(: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसे द्वारा (यूटी) क्षेत्रों राज्य संघ और राज्यों (एनसीआरबी) वार्षिक अपने इसे और है करता संकलित आंकड़े संबंधित से करीतस् मानव गए किए सूचित प्रकाशन'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष है। की 2018 वर्ष 2016 से 2018 की अवधि के दौरान एनसीआरबी को सूचित किए गए मानव तस्करी के मामलों की संख्या को देखते हुए ऐसी कोई प्रवृत्ति नजर नहीं आती है।

(ख) और (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। मानव तस्करी के अपराध की रोकथाम करने और उनसे निपटने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है, जो कानून के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत मानव तस्करी के अपराध से निपटने में सक्षम हैं। तथापि, गृह मंत्रालय विभिन्न पहल और उपाय करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय ने राज्यों के विभिन्न जिलों में

332 मानव तस्करी-रोधी इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। गृह मंत्रालय तस्करी से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने और न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों को कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 'न्यायिक वार्तालाप' और 'राज्य स्तरीय सम्मेलन' आयोजित करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय ने मानव तस्करी की रोकथाम करने और इससे निपटने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर विभिन्न एडवाइजरी भी जारी की हैं। ये एडवाइजरी गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं। हाल ही में, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से, इस अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को मानव तस्करी से संबंधित अपराध के मामलों की भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370क के अंतर्गत जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकार ने निर्भया कोष के अंतर्गत 100 करोड़ रु. की लागत से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव तस्करी-रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित करने/उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता मंजूर की है।

****